संख्या : 336969 / E- 22087 / XXVII(1) / 2025

प्रेषक,

आर. के. सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 13 अक्टूबर, 2025

विषयः विभागीय योजनाओं की गाइडलाईन के इतर जनपद स्तर पर अतिरिक्त धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में कतिपय विभागीय योजनाओं की गाइडलाईन के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यवस्थित सब्सिडी अथवा अन्य लाभ की निर्धारित सीमा से इतर लाभान्तरण जिला योजना अथवा अन्य शासकीय निधियों से किया जा रहा है जो कि **नियमविरूद्ध होने के साथ ही वित्तीय अनियमितता** की श्रेणी में भी आता है। जिन योजनाओं के अन्तर्गत शासन अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से निर्गत गाइडलाईन उपलब्ध हैं, उनके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ के अतिरिक्त किसी टॉपअप हेतु जिला योजना समिति अधिकृत नहीं हैं।

2– उल्लेखनीय है कि **मा. मंत्रिमण्डल** की बैठक दिनांक 20.01.2025 में लिये गये सुविचारित निर्णय के कम में वित्त विभाग के शासनादेश सं.–276947 दिनांक 19.02.2025 के द्वारा दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं कि **भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में निर्धारित सब्सिडी की धनराशि में राज्य सरकार के स्तर से अभिवृद्धि न की जाए।** इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं.–41 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की जिला योजना की धनराशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त पत्र के अन्तर्गत बिन्दु सं.–(11) में उल्लिखित है कि **जिला योजना में ऐसी योजनायें/कार्यक्रमों को प्रायः न रखा जाय, जो राज्य योजना/केन्द्र पोषित योजना में संचालित/वित्त पोषित हों ताकि समानान्तर योजनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यदि केन्द्रीय/ राज्य सेक्टर योजनाओं में लक्ष्य कम होने की स्थिति में यथावश्यक जिला योजना से अतिरिक्त Target हेतु Funding की जाती है तो ऐसी योजनाओं में सब्सिडी का अंश Regular योजनाओं के अनुरूप ही रखा जाए।**

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके जनपद के स्तर पर भी किसी केन्द्रपोषित अथवा राज्य सेक्टर की विभागीय योजना के अन्तर्गत जिला योजना अथवा अन्य शासकीय निधियों से उपरोक्तानुसार अनधिकृत टॉपअप लाभान्तरण किया जा रहा हो तो इस स्थिति को तत्काल शासन के संज्ञान में लाते हुए निषिद्ध किया जाए तथा प्रत्येक जनपद स्तर से जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण पत्र **एक सप्ताह में** शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि किसी जनपद में उक्तानुसार अनधिकृत टॉपअप सब्सिडी अनुमन्य की जाती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों से उक्त धनराशि की वसूली सुनिश्चित करायी जाएगी।

4– कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 10-10-2025 10:58:40

(आर. के. सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या : 336969 / E- 22087 / XXVII(1) / 2025 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

(आर. के. सुधांशु)
प्रमुख सचिव।